''रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया जो लोगों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है, और जो ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य एवं असत्य का अन्तर खोल कर रख देने वाली है। (सूरे बक़रा-१८५)

रोज़े का मक़सद

मुहम्मद अज़हर मदनी

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फ़रमान है-

''जिसने झूठ बोलना और उसपर अमल करना न छोड़ा, तो अल्लाह उसके भूखे-प्यासे रहने का मोहताज नहीं।'' (सहीह बुख़ारी, १९०३)

हर कर्म का एक मक़सद होता है, मकसद हमेशा नेक होना चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए अमल का तरीका इस्लाम के अनुसार होना चाहिए इसके बिना कोई अमल अल्लाह के यहां स्वीकार्य नहीं होगा। रोज़े का भी एक महान उददेश्य है, अल्लाह की खुशी की प्राप्ति, यह खुशी हासिल करने के लिये रोज़े के जो अहकाम और मसाइल कुरआन व हदीस में बताये गये हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल करें ताकि रोज़े का मक़सद हासिल हो सके। बहुत से लोग किसी कारण वश भूखे प्यासे रह जाते हैं लेकिन नेकी के एरादे के साथ अल्लाह के लिये भूखे प्यासे रहना इन्सान के आज्ञालपक होने की दलील है।

एक सहीह हदीस में रोज़े का महत्व बताते हुए नबी स० ने फरमायाः

''अल्लाह का कहना है कि हर कर्म का बदला मनुष्य को मिलता है सिवाय रोज़े के। चूंकि वह मेरे लिए (अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए) खाना पीना छोड़ देता है इस लिये इस का प्रतिफल मैं स्वयं दूंगा रोज़ा (बुराइयों से रोकने की) एक ढाल है तो जिसका रोज़ा हो उसे चाहिए कि निर्लज्जता की बातें और बकवास न करे, और अगर उसे कोई गाली दे तो कह दे कि भाई मैं रोज़े से हूं। अल्लाह की क़सम, रोज़ेदार के मुंह से जो दुर्गन्ध निकलती है वह अल्लाह की नज़र में मुश्क की सुगन्ध से भी अच्छी है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक जब वह रोज़ा खोलता है (अर्थात शाम को) दूसरी जब वह अल्लाह से मिलेगा। (सहीह बुखारी १०९४ तथा सहीह मुस्लिम ११५१)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया जो लोगों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है, और जो ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य एवं असत्य का अन्तर खोल कर रख देने वाली है। अतः अब से तुममें से जो भी इस महीने को पाए, उसके लिए अनिवार्य है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे। हां, जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो तो वह दूसरे दिनों में यह गणना पूरी करे। अल्लाह की इच्छा तुम्हारे साथ आसानी की है, कठोरता की नहीं, वह तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर रहा है और चाहता है कि तुम गणना पूरी कर लो, और अल्लाह के प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार उसकी महिमा का वर्णन करो एवं उसके कृतज्ञ रहो''। (सूरा अल बकरा-२)

मासिक

इसलाहे समाज

मार्च 2023 वर्ष 34 अंक 3

रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑ वार्षिक राशि 100 रुपये

❑ प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. रोज़े का मक़सद 2
2. इन्सान का निजी कर्म 4
3. रमज़ान के रोज़े और इबादत की फ़ज़ीलत 5
4. ज़कात न देने वालों का अंजाम 7
5. ईदैन के अहकाम और मसाइल 9
6. इस्लाम धर्म न्याय और अम्न व शान्ति स्थापित करने का हुक्म देता है 13
7. हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया 16
8. अनाथ 18
9. औलाद की शिक्षा एवं प्रशिक्षण 21
10. एलाने दाखिला 23
11. प्रेस रिलीज़ (चुनाव) 24
12. प्रेस रिलीज़ (गणतंत्र दिवस) 26
13. अपील 27
14. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

सम्पादकीय

इन्सान का निजी कर्म

नौशाद अहमद

किसी भी धर्म की असल और स्रोत उसकी किताब होती है, और इस की तालीमात को सभों तक पहुंचाने वाले उसके ज्ञानी और व्याख्याकार होते हैं किसी ज्ञान को हासिल करने के बाद उस पर अमल का चरण शुरू होता है और इसी में लोगों की आजमाइश होती है। बगैर अमल के कोई भी ज्ञान किस काम का? इसलिये कर्म के लिये प्रेरित किया जाता है। इन्सान की कामयाबी और नाकामी अर्थात मुक्ति का आधार उसका कर्म ही होता है, जब मुक्ति की भावना मन से खतम हो जाती है तो इन्सान अच्छे कर्म करना छोड़ कर व्यर्थ कामों में लग जाता है। निरीक्षण बताता है कि जो लोग सहीह रास्ते से दूर हो जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह अपनी बुनियादी धार्मिक किताबों की शिक्षाओं से दूरी का नतीजा है और जब किसी सही शिक्षा की गलत व्याख्या कर दी जाती है तो इससे बुराई जनम लेती है इस लिये हम सभी को ऐसे ज्ञानियों ही के संपर्क में रहना चाहिए जो सत्कर्म पर विश्वास रखते हों, उनका कर्म धार्मिक किताबों के अनुसार हो, उनका व्यवहारिक जीवन उनके अच्छे होने की गवाही दे रहा हो। ऐसे ही ज्ञानी समाज में विश्वसनीय माने जाते हैं।

किसी की खूबियों और नेकियों को स्वीकार करना उदार होने की पहचान है, धार्मिक किताबों का अध ययन एक दूसरे को समझने का सबसे विश्वसनीय माध्यम है, किसी के निजी कुकर्म के लिये उसकी धार्मिक किताब को दोषी ठेहराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। किसी भी धार्मिक किताब को समझने के लिये खुले मन से उसका अध ययन सबके लिये ज़रूरी है, अफवाह किसी की धार्मिक किताब का हिस्सा नहीं होती और न ही उसका गलत काम धर्म का हिस्सा हो सकता है जो लोग किसी धार्मिक किताब का अध्ययन पहले से बनाये गये दृष्टिकोण से करते हैं वह किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते और न उनकी गलत फहमी दूर की जा सकती है। असल धार्मिक किताबों के अध्ययन से इन्सान इस नतीजे पर जरूर पहुंचता है कि क्या सहीह है और क्या गलत है, उसके लिये क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक है।

इन्सान के जीवन का एक खास मकसद है, इस लिये हर इन्सान को यह एहसास होना चाहिये कि उसको इस दुनिया में क्या करना है। पवित्र कुरआन में एक जगह इन्सान के जीवन के मकसद को इन शब्दों में बयान किया गया हैः

''जिस ने मौत और जीवन को इस लिये पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। (सूरे मुल्क-२)

अब अगर कोई इन्सान अपने इस मकसद को छोड़ कर गलत रास्ते पर चल पड़े, कुकर्म का रास्ता अपना ले तो इसमें उसके धर्म का क्या दोष है, स्पष्ट है कि इसमें उसके धर्म और समुदाय का कोई दोष नहीं है दोष तो व्यक्ति का है जो बुरे कामों का कारण बना है।

रमज़ान के रोज़ों और इबादत की फ़ज़ीलत

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जब रमज़ान की पहली रात होती है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और उसका कोई दर्वाज़ा बन्द नहीं किया जाता और नरक के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं फिर उसका कोई दर्वाज़ा खोला नहीं जाता, शैतानों को क़ैद कर दिया जाता है और पुकारने वाला पुकारता है, ऐ भलाई करने वाले आगे बढ़ और ऐ बुराई करने वाले रूक जा और हर रात अल्लाह तआला लोगों को नरक से आज़ाद करते हैं। (सुनन तिर्मिज़ी ३/६६)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

रमज़ान का मुबारक महीना आ गया इस में अल्लाह तआला तुम्हें रहमत से ढांप लेगा, पाप को खतम कर देगा और दुआओं को कुबूल करेगा, अल्लाह तआला नेक कामों में जब तुम्हारे लगन और एक दूसरे से आगे बढ़ने के जज़बे को देखता है तो तुम पर अपने फरिश्तों से गर्व करता है तो तुम अल्लाह तआला को अपनी तरफ से अच्छे आमाल दिखाओ वह आदमी बहुत बद किस्मत है जो इस मुबारक महीने में अल्लाह की रहमत से वंचित (महरूम) हो जाए।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखते हुए सवाब पाने के लिये रोज़े रखे तो उसके गुज़रे हुए गुनाह मआफ हो जाएं गे और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखते हुए सवाब के लिये रमज़ान की रातों में क़्याम करे तो उसके गुजरे हुए गुनाह मआफ हो जाएंगे इसी तरह जो लैलतुल कद्र को ईमान और सवाब की निय्यत रखते हुए इबादत करे तो उसके पिछले गुनाह मआफ कर दिये जाते हैं। (सुनन तिर्मिज़ी ३/६७)

एक हदीस कुदसी में अल्लाह तआला फरमाता हैः

आदम की औलाद के नेक कर्म का बदला दस गुना से सात सौ गुना है सिवाए रोज़े के रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसका बदला दूं गा उसने अपनी शहवत और खाना पीना मेरी खुशी के लिये छोड़ा है रोज़ेदार के लिये दो खुशियां हैं पहली खुशी इफतार करते वक़्त और दूसरी खुशी अल्लाह से मुलाक़ात के वक़्त, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा अच्छी है। (सुनन तिर्मिज़ी ३/१३६)

रमज़ान के महीने में रोज़ा, रात की इबादत, और दूसरे दिनों में रोज़े रखने की बड़ी फ़ज़ीलत आई है इसलिये मुसलमानों को चाहिए कि रमज़ान के महीने को गनीमत समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें और गलत कामों से बचें। अल्लाह तआला ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उसे करें खास तौर से पांच वक़्त की नमाज़ें पढ़ें इसलिये कि यह दीन का स्तंभ है और तौहीद के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा है इसलिये हर मुसलमान और औरत पर वाजिब है कि सुकून व इतमीनान और दीनी जजबे के साथ पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा करें। कुरआन में अल्लाह

तआला फरमात हैः

''नमाज़ काइम करो, ज़कात दो और रूकूअ करने वालों के साथ रूकूअ करो''। (सूरे बकरा-४३)

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है : ''वह मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाज़ों में अल्लाह से डरते हैं'' (सूरे मोमिनून १-२)

फरमायाः ''और जो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करते हैं यही वह लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे उसमें हमेशा हमेश रहेंगे'' (सूरे मोमिनून-९-११)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है एक अल्लाह की गवाही देना, नमाज़ काइम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और अल्लाह के घर का हज करना''। (बुख़ारी १-४९)

रोज़ा रखने का मक़सद अल्लाह के आदेशों का पालन, उसकी हराम की हुई चीज़ों से दूर रहना, मन को हराम चीज़ों से दूर रहने का आदी बनाना। रोज़ा रखने का मकसद केवल खाने पीने को छोड़ना ही नहीं है।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रोज़ा ढ़ाल है जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो पाप न करे और न ही शोर करे और अगर कोई गाली और झगड़ा करने पर आमादा हो तो उससे कहे कि मैं रोज़े से हूँ। (बुख़ारी ४/०१३)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने झूठ बोलने और उस पर अमल करने को नहीं छोड़ा तो अल्लाह को इस बात की ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना पीना छोड़ दे। (सुनन इब्ने माजा १/५३९)

कुरआन और हदीस से मालूम हुआ कि रोज़ेदार पर वाजिब है कि अल्लाह की अवैध की हुई बातों से बचे और वाजिब की हुई चीज़ों पर पूरी तरह अमल करे। जब इन्सान ऐसा करेगा तो अल्लाह तआला बखश देगा, जहन्नम से आज़ाद करेगा रोज़े और दूसरी इबादतों को कुबूल करेगा।

अल्लामा इब्ने बाज़, इब्ने उसैमीन,इब्ने जिबरीन रहमातुल्लाहि अलैहिम और अल्लजनतुद दाइमा की तहरीरों का सारांश

> हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखते हुए सवाब पाने के लिये रोज़े रखे तो उसके गुज़रे हुए गुनाह मआफ हो जाएं गे और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखते हुए सवाब के लिये रमज़ान की रातों में क़्याम करे तो उसके गुजरे हुए गुनाह मआफ हो जाएंगे इसी तरह जो लैलतुल कद्र को ईमान और सवाब की निय्यत रखते हुए इबादत करे तो उसके पिछले गुनाह मआफ कर दिये जाते हैं। (सुनन तिर्मिज़ी ३/६७)

ज़कात न देने वालों का अंजाम

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''जिन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से कुछ दे रखा है वह इस में कन्जूसी को अपने लिये बेहतर ख्याल न करें बल्कि वह उनके लिये अत्यन्त बदतर है, अन्क़रीब क़यामत वाले दिन यह अपनी कनजूसी की चीज़ के तौक़ डाले जाएं गे'' (सूरे आले इमरान-१८०)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया: ''और जो लोग सोने चांदी का ख़ज़ाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर पहुंचा दीजिए, जिस दिन इस ख़ज़ाने को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा फिर इससे उनकी पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी (उनसे कहा जाएगा) यह है जिसे तुम ने अपने लिये ख़ज़ाना बना कर रखा था, पस अपने खज़ाने का मज़ा चखो।'' (सूरे तौबा, ३४-३५)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: ''जिसे अल्लाह ने माल दिया लेकिन उसने ज़कात नहीं दी तो क़यामत के दिन उसका माल जहरीले गंजे सांप की शक्ल धारण करेगा जिसकी आँखों पर दो काले बिन्दु होंगे और वह इसके गले का हार होगा वह इसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं''। (बुखारी-१४०३)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: ''जिस शख्स के पास भी सोना चांदी है और वह ज़कात अदा नहीं करता तो क़्यामत के दिन उसके लिये सोना चांदी के पतरे आग से बनाए जायेंगे, जहन्नम की आग में उनको गरम किया जाएगा फिर इन पतरों से उसके पहलुओं, उसकी पेशानी और उसकी कमर को दाग़ा जाएगा। पचास हज़ार साल के दिन में बन्दों में फैसले होने तक जब भी इन पतरों को (उसके बदन से) जहन्नम की जानिब फेरा जाएगा उसको उस (के जिस्म) की तरफ (निरन्तरता के साथ) लौटाने का अमल जारी रहे गा।

आप से पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल ऊटों के बारे में क्या (हुक्म) है? पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जो ऊंटों वाला ऊंटों की ज़कात अदा नहीं करता जबकि ऊटों के बारे में यह हक़ भी (मुस्तहब) है कि जिस दिन उनको पानी पिलाने के लिये ले जाये उनका दूध दुह कर (गरीबों और मिस्कीनों) में तक़सीम किया जाए तो जब क्यामत का दिन होगा तो ज़कात न देने वाले ऊटों के मालिक को (चेहरे के बल) ऊंटों के पामाल यानी रौंदने के लिये चटियल मैदान में गिरा दिया जाए गा ऊंट पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े और बड़ी मात्रा में होंगे उन में से कोई बच्चा भी गायब नहीं होगा फिर ऊंट अपने मालिक को अपने पावों से रौंदें गे और अपने दांतों से काटेंगे जब इस पर से पहला दस्ता गुज़र जाएगा। तो फिर इस पर से दूसरा दस्ता गुज़रे गा (यह काम उस रोज़ तक क़ाइम रहेगा) जिस की मुददत हज़ार साल के बराबर है

यहां तक कि बन्दों के बीच फैसला हो जाएगा और हर शख्स अपने मक़ाम को देखेगा कि जन्नत में है या जहन्नम में है।

पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! गाय और बकरियों के बारे में क्या (हुक्म) है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः गाय और बकरियों का जो मालिक भी इन की ज़कात अदा नहीं करता तो क़्यामत के दिन उसको उनके लिये चटियल बड़े मैदान में (मुंह के बल) गिराया जाएगा। जानवरों में से कोई जानवर गायब नहीं होगा उनमें खमदार सींगों वाला, बग़ैर सींगों वाला और टूटे हुए सींगों वाला कोई जानवर नहीं होगा। जानवर उसको सींग मारेंगे और खुरों के साथ उसे रौंदेंगे जब उस पर पहला दस्ता गुज़ार जाए गा तो उस पर आखिरी दस्ता (उस रोज़ तक लगातार) गुज़रता रहेगा जिस की मुददत पचास हज़ार साल है यहां तक कि इन्सानों के दर्मियान फैसला हो जाएगा। तो हर शख्स अपना ठिकाना देख लेगा कि जन्नत में है जा जहन्नम में है। (मुस्लिम, हदीस का आंशिक भाग-६७८ अबू दाऊद १६५८, मुसनद अहमद १६२/२ मुसनद अब्दुर्रज्ज़ाक ६८५८, इब्ने खुज़ैमा, २२५२, इब्ने हिब्बान ३२/३, बैहक़ी १८१४)

ज़कात के फर्ज़ होने की हिकमत

१. ताकि माल पवित्र और बाबर्कत हो जाए।

२. फक़ीरों और मिस्कीनों की मदद व सहयोग हो जाए।

३. इन्सान का मन बखीली व कंजूसी जैसी बुरी आदतों और गुनाहों से पवित्र हो जाए।

४. माल की नेमत की वजह से इन्सान पर जो अल्लाह का शुक्र लाज़िम आता है वह अदा हो जाए। (अल फिकहुल इस्लाम व अदिल्लतुहू ३/१७६०)

जैसा कि पवित्र कुरआन की इन दलीलों से पता चलता है।

१. ''और ज़कात अदा करो'' (सूरे बक़रा-४३)

२. ''उनके मालों से आप सदक़ा लीजिए'' (सूरे तौबा १०३१)

३. ''उस के कटाई के दिन उसका हक़ अदा करो'' यानी फल उतारने या फसलों की कटाई के वक़्त) सूरे तौबा-१४१

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसललम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को यमन की तरफ भेजते वक़्त फरमाया कि उन्हें जाकर खबर दो कि बेशक अल्लाह ने उन पर उनके मालों में सदक़ा (यानी ज़कात) को फर्ज़ क़रार दिया है।'' (बुखारी-१३६५, मुस्लिम १६, अबू दाऊद १५४८ तिर्मिज़ी २६१, नेसई २/५, इब्ने माजा १८७३ मुसनद अहमद २३३/१)

हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहो अन्हो को ज़कात के फर्ज़ होने से संबन्धित यह लेख भेजा ''यह ज़कात का वह फरीज़ा है जिसे अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्ल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फर्ज़ किया है और अल्लाह तआला ने जिस को अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया है'' (बुखारी, १४५४ अबू दाऊद १५६७, नेसई २४४७)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः पांच चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है उनमें से एक ज़कात अदा करना भी है। (बुखारी-८)

हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि मैंने इन मामलों में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बैअत की कि नमाज़ काइम करूंगा, ज़कात अदा करूंगा और हर मुसलमान की खैर खुवाही करूंगा''। (बुखारी १४०१)

ज़कात के वाजिब होने पर हमेशा से मुसलमानों का इजमअ् (सर्वसम्मत) रहा है।''फिक़हुल हदीस'' भाग १ से पृष्ठ ६६६-६६८

ईदैन के अहकाम और मसाइल

मौलाना अब्दुल वली, हाइत सऊदी अरब

ओलमा के उत्तम कथन के अनुसार ईदैन की नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द पर वाजिब है। क्योंकि कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''अपने रब के लिये नमाज़ पढ़िये और कुरबानी की जिये'' (सूरे कौसर)

अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईद की पहली नमाज सन २ हिजरी में अदा की थी फिर जीवन भर इसको अदा करते रहे आपके बाद आपके खलीफा का भी यह तरीका रहा बल्कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईदगाह ले जाने का हुक्म दिया।

उम्मे अतिय्या रजिअल्लाहो अन्हा बयान करती हैं कि ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम औरतों को ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा में ईदगाह ले जायें। जवान लड़कियों, हैज वाली औरतों, पर्दा वाली औरतें को भी, लेकिन हैज वाली नमाज़ से अलग रहें और मुसलमानों की दुआ में शामिल हों।

उम्मे अतिय्या रजिअल्लाहो अन्हा कहती हैं कि मैंने पूछा ऐ अल्लाह के सन्देष्टा हममें से किसी के पास चादर नहीं होती, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी बहन उसको अपनी चादर उढ़ा दे। (बुखारी अल ईदैन ८६०, तिर्मिज़ी अलईदैन ५३६)

ईदैन की नमाज़ ईदगाह में अदा करना मसनून है। अबू सईद खुदरी रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल अजहा और ईदुल फित्र के दिन ईदगाह निकलते थे ईदगाह पहुंच कर सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ते थे (बुखारी अलईदैन ८८६)

ईदैन की नमाज से पहले अजान इकामत नहीं है। जाबिर बिन समुरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ ईदैन की नमाज़ एक दोबार नहीं बल्कि कई बार बिना अजान और इकामत के पढ़ी है। (मुस्लिम ८८७)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजिअल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि ईदुल फित्र और ईदल अजहा के दिन (अल्लाह के रसूल के जमाने में) अज़ान नहीं दी जाती थी (बुखारी, अल ईदैन ९६०, मुस्लिम, सलातुल ईदैन ८८६)

ईद की नमाज़ केवल दो रकात है पहले और बाद में कोई सुन्नत नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल फित्र के दिन निकले आपने दो रकात नमाज़ पढ़ाई, आपने पहले और बाद में कोई नमाज़ नहीं पढ़ी और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रजिअल्लाहो अन्हो भी थे। (बुखारी ईदैन ८८४)

ईदैन की नमाज़ दो रकात है जिसकी पहली रकात में तकबीरे तहरीमा और दुआ-ए-सना के बाद सात जायद तकबीरें कही जायें और दूसरी रकात में खड़े होने के बाद पांच जायद तकबीर कहीं जायें। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस

रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईदुल फित्र में पहली रकात में सात तकबीरें और दूसरी रकात में पांच तकबीरें हैं और केरात दोनों रकातों की तकबीरों के बाद है। (अबू दाऊद, अस्सलात ११५१ तिर्मिज़ी, अल जुमा ५३६, अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को हसन कहा है, सहीह अबू दाऊद ३१५)

नाफे रह० बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरह रजिअल्लाहो अन्हो की इकतेदा में ईदुल अजहा और ईदुल फित्र अदा की तो उन्होंने पहली रकात में केरात से पहले सात तकबीरें और दूसरी रकात में केरात से पहले पांच तकबीरें कहीं (मुवत्ता इमाम मालिक अल ईदैन बाब मा जाआ फित तकबीर, वल केरात फिल ईदैन)

जब ईद और जुमा दोनों एक दिन में जमा हो जायें तो मुसलमान आम दस्तूर के अनुसार नमाज़ अदा करेंगे लेकिन उन्हें जुमा की नमाज के बारे में अधिकार हो गा कि वह चाहें तो जुमा अदा करें और चाहें तो उसमें शरीक न हों अयास बिन अबू रमला शामी बयान करते हैं कि मेरी मौजूदगी में मुआविया बिन अबू सुफियान रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने जैद बिन अरकम रजिअल्लाहो से यह सवाल किया क्या आपने अल्लाह के रसूल के साथ दो ईदों (ईदुल फित्र या ईदुल अजहा और जुमा) को एक दिन में जमा होते देखा है? उन्होंने जवाब में कहा हां। मुआविया रजिअल्लाहो ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस अवसर पर क्या किया? उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और जुमा के बारे में रूखसत दी और फरमाया जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। (अबू दाऊद १०७०, दारमी १/४५६), अल्लामा अल्बानी ने इसकी सनद को सहीह कहा है। (सहीह अबू दाऊद १/१६६)

अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में दो ईद ईदुल फित्र या ईदुल अजहा और जुमा एक दिन में जमा हो गयीं आप ने लोगों को ईद की नमाज़ पढ़ाई फिर फरमाया जो जुमा में आना चाहे वह आये और जो न आना चाहे वह न आये। (इब्ने माजा १३१२, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है, देखिए इब्ने माजा १/२२०)

ईदैन के दिन नहाना, खुश्बू इस्तेमाल करना मुस्तहब है। ईदैन के दिन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कोई हदीस साबित नहीं, सहाबा किराम रजिअल्लाहो तआला अन्हों का अमल है, अहले इल्म (ओलमा) की एक जमाअत के नजदीक यह गुस्ल जुमा के गुस्ल पर क्यास करते हुये मुस्तहब है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन इस जुमा के दिन को अल्लाह ने मुसलमानों के लिये ईद बनाया है इसलिये जो शख्स जुमा के लिये आये, उसको चाहिये कि गुस्ल करे और अगर खुश्बू उपलब्ध हो तो उसको इस्तेमाल करे और तुम अपने ऊपर मिस्वाक को लाजिम कर लो (इब्ने माजा १०८५, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, देखिये सहीह सुनन इब्ने माजा १/१८१)

इमाम मालिक रह० ने नाफे से रिवायत नकल की है अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हुमा ईदुल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते थे (मुवत्ता इमाम मालिक, ह० २ मुसनद शाफई १/७३ ह० ३१८ मुसन्नफ

अब्दुर्रज्जाक ३/३०६)

अल्लामा अल्बानी फरमाते हैं कि ईदैन का गुस्ल मुस्तहब होने पर सबसे अच्छी दलील सुनन बैहकी ३/२७८ की रिवायत है कि अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने कहा जुमा, अरफा, ईदुल अजहा और ईदुल फित्र के दिन गुस्ल करना चाहिये (इरवाउल गलील १/१७६ इस हदीस की सनद सहीह है)

ईद के लिये अच्छा कपड़ा पहन कर जाना मुस्तहब है।

अल्लामा इब्ने कैइम रह० फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदैन के अवसर पर खूबसूरत तरीन कपड़े पहनते थे। (जादुल मआद १/४२५)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत के अनुसार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईद के दिन लाल धारियों वाली चादर पहनते थे (अल मोअजमुल अवसत ७/३१६ अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को हसन कहा है, देखिये सिलसिलातुल अहादीसिस्सहीहा ३/२७४

सुन्नत यह है कि ईदुल फित्र में ताक खुजूरें खाकर ईदगाह निकला जाये और ईदुल अजहा में बगैर कुछ खाये निकला जाये और ईदगाह से आने के बाद अपनी कुर्बानी से कुछ खाये।

अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल फित्र के दिन ताक खुजूरें खाये बगैर नहीं निकलते थे। (बुखारी ९५३, इब्ने माजा १७५४, इब्ने खुजैमा १४२९)

बुरैदा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल अजहा के दिन नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ न खाते थे और मुस्नद अहमद में इतने शब्द ज्यादा हैं कि आप अपनी कुर्बानी का गोश्त खाते थे। (तिर्मिज़ी ५४२, अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है, देखिये सहीह तिर्मिज़ी १/३०२)

सअ्द रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईद के लिये पैदल चल कर जाते थे और पैदल वापस आते थे। (इब्ने माजा १२९४, अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा, देखिये सहीह इब्ने माजा १/२१७)

मर्दों को तकबीरात पुकारते हुये ईदगाह जाना चाहिये।

जोहरी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र के दिन तकबीर कहते रहते यहां तक कि नमाज़ अदा कर लेते, जब नमाज़ अदा कर लेते तो तकबीरें कहना बन्द कर देते (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा १/४८७) अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को सहीह कहा, सिलसिलातुल अहादी सिस्सहीहा १/३२९, ह० १७१)

औरतें भी तकबीर पुकारें लेकिन अपनी आवाज़ को पस्त रखें ताकि मर्द न सुनें।

उम्मे अतिय्या बयान करती हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था कि हम ईद के दिन अपने घरों से निकलें यहां तक कि कुवांरी लड़कियों को भी बाहर निकालें और हाइजा औरतों को भी निकालें, लेकिन वह मर्दों से पीछे रहें और उनकी तकबीर के साथ तकबीर कहें और उनकी दुआ के साथ दुआ करें, उस दिन की बरकत और पाकीजागी की प्राप्ति की आशा के साथ (बुखारी, ९७१, मुस्लिम अल इदैन ८९०)

ईदुल फित्र में तकबीरात कहने का वक्त शव्वाल का चांद दिखाई देने के बाद से इमाम के खुतबा से फारिग होने तक है।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रह० फरमाते हैं कि ईदुल फित्र में तकबीर की शुरूआत चांद देखने से और ईद की समाप्ति से फारिग होने पर है और ईद से फारिग होने का सहीह कथन के अनुसार तात्पर्य यह है कि इमाम खुतबा से फारिग हो जाये।

(फतावा इब्ने तैमिया २४/२२१)

सुन्नत यह है कि ईदगाह एक रास्ते से जाया जाये और दूसरे रास्ते से वापस आया जाये।

जाबिर रजिअल्लाहो तआला अन्दो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईद के दिन जाते वक्त एक रास्ते और आते वक्त दूसरे रास्ते से वापस आते थे (बुखारी ९८६)

हाफिज इब्ने हजर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के रास्ता बदल कर आने जाने की हिकमत यह बयान करते हैं ताकि इस्लामी शिक्षाओं का लोगों को इल्म हो सके, आप के लिये दोनों रास्ते गवाही दें, जिक्र इलाही को व्यक्त करने के लिये, दोनों रास्तों के लोगों को सलाम करने के लिये, लोगों को धार्मिक बातें सिखाने के लिये, सदका करने के लिये, रिश्ता नाता जोड़ने के लिये (फतहुल बारी २/५४८)

और सबसे बड़ी हिकमत जो एक मुसलमान के नजदीक सबसे ज्यादा विश्वसनीय है वह यह है कि ऐसा करने में रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के तरीके का अनुसरण है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया "तुम्हारे लिये रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जिन्दगी में बेहतरीन नमूना है"। (अल शरहुल मुमृतअ ५/११७)

पाठक गण ध्यान दें

1-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। 2-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सूचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। 3-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। 4-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। 6- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। 7. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

इस्लाम धर्म न्याय और अम्न व शान्ति स्थापित करने का हुक्म देता है

सईदुर्रहमान सनाबिली

इस्लाम दया करूणा और अम्न व शान्ति का धर्म है, इस्लाम ने सिसक्ती इन्सानियत को सुख और संतोष की दौलत दी। पीड़ित को उसका अधिकार दिया, अत्याचारी को अत्याचार से रोका, यतीमों, बेवाओं और मोहताजों की देख भाल की, परेशान हाल, अधिकार से वंचित, बीमार के साथ हमदर्दी मुहब्बत व सहायता और सांत्वना की शिक्षा दी, लड़ाई झगड़ों से मुक्ति दिलायी। इस्लाम ने एक निर्दोष इन्सान के कत्ल को पूरी मानवता के कत्ल के समान करार दिया है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पड़ोसियों के अधिकार अदा करने और उनके समाजी मामलात में हमदर्दी और शुभचिंतन पर बल दिया है। अत्याचार को हर तरह से हराम करार दिया है। इस्लाम ने अपने अनुयाइयों को इस्लाम के प्रचार की इजाज़त तो दी है लेकिन धर्म के मामले में किसी पर जबरदस्ती करने पर रोक लगा दी है।

इस्लाम अम्न व शान्ति और सुलह समझौते का सबसे बड़ा वाहक है इसका अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरआन ने ऐसे अल्लाह का तसव्वुर पेश किया है जो कृपालू और दयालू है और कुरआन ने ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० का परिचय इन शब्दों में कराया है ''और हमने आपको पूरे संसार के लिये दया आगार बना कर भेजा है'' इस्लाम ने बिना भेदभाव सबसे प्रेम का पाठ सिखाया है जिसमें कदम कदम पर अल्लाह से प्रेम, ईश्दूत हज़रत मुहम्मद से प्रेम, मुसलमानों से प्रेम, पूरी मानवता से प्रेम यहां तक कि अल्लाह की पूरी सृष्टि से प्रेम की शिक्षा दी गयी है।

इस लेख में उन यथार्थ का उल्लेख किया गया है जिससे मालूम होता है कि इस्लाम धर्म अम्न का वाहक और शान्ति का प्रचारक है और हिंसा, अतिवाद, आतंकवाद का सबसे बड़ा विरोधी है।

अत्याचार निन्दित कार्य है, अल्लाह तआला न्याय को पसन्द करता है और अत्याचार को अप्रिय समझता है क्योंकि अत्याचार अम्न व शान्ति व्यवस्था को भंग कर देता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''और अल्लाह अत्याचारियों को पसन्द नहीं करता है'' (सूरे आले इमरान-५७)

संसार में अत्याचार करने वाले क्यामत के दिन अल्लाह के प्रकोप के शिकार होंगे। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''और चूंकि तुमने दुनिया में जुल्म किया था, इसीलिये आज तुम्हारी यह बात तुम्हें कोई भायदा नहीं पहुंचाएगी तुम सब अज़ाब में शरीक हो'' (सूरे जुख़रूफ ३९)

ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमायाः खबरदार! जिस किसी ने किसी जिम्मी पर अत्याचार किया या उसकी तनकीस (उसके अधिकार में कमी) की या उसकी ताकत से बढ़कर उसे किसी बात का मुकल्लफ किया या उसकी हार्दिक खुशी के बगैर कोई चीज़ ली तो क्यामत के दिन मैं उसकी तरफ से पक्षकार बनूंगा। (अबू दाऊद ३०५२, अल्लामा अलबानी ने इस

हदीस को सहीह करार दिया है)

अल्लाह तआला फितना और फसाद फैलाने वालों को कदापि पसन्द नहीं करता है वह अम्न व शान्ति को पसन्द करता है कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''अल्लाह की दी हुयी रोज़ी से खाओ और पियो और ज़मीन में फसाद न करते फिरो''। (सूरे बक़रा ६०)

कुरआन में अल्लाह तआला कहता है ''और कोई आदमी ऐसा होता है जिसकी बात दुनियावी जिन्दगी में आपको पसन्द आ गयी और अल्लाह को अपने दिल की सच्चाई पर गवाह बनाता है हालांकि वह बदतरीन झगड़ालू होता है और वह जब आपके पास से लौटता है तो वह ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश करता है और खेतों और मवेशियों को हलाक करता है और अल्लाह फसाद को पसन्द नहीं करता है''। (सूरे बकरा २०४-२०५)

इस्लाम धर्म की बुनियाद ही नर्मी और आसानी पर है। इस धर्म में किसी भी तरह की मामूली जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''दीन के मामले में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है''। (सूरे बकरा २५६)

कुरआन की इस आयत में अल्लाह ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किसी भी इन्सान को इस्लाम ध र्म में दाखिल होने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।

इस्लाम के इतिहासिक अध्ययन करने से यह बात सपष्ट हो जाती है कि जब भी मुसलमान किसी शहर या एलाके में गये तो वहां के लोगों को इस्लाम पर मजबूर नहीं किया बल्कि उन्हें अपने धर्म पर बाकी रहने का अधिकार दिया जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम अम्न व शान्ति का झण्डावाहक है।

इस्लाम ने इन्सानी जानों को अत्यंत सम्माननीय करार दिया है। इसका अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने इन्सानी जान की हत्या को पूरी मानवता के कत्ल के समान करार दिया है कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''इसी लिये बनी इस्राईल पर जो शरीअत नाजिल की उसमें हमने लिख दिया था कि जो कोई किसी जान को बगैर किसी जान के बदले या बिना मुल्क में फ़साद करने की सजा के मारता है वह गोया तमाम लोगों को कत्ल करता है और जिसने किसी नफ़्स (प्राण) को जीवित रखा तो उसने गोया सब लोगों को जिन्दा रखा है''। (सूरे माइदा ३२)

ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया जिस शख्स ने मुआहिद को कत्ल किया वह जन्नत की खुश्बू तक नहीं पायेगा और यकीनन उसकी खुश्बू चालीस साल की दूरी तय करने पर महसूस की जाती है। (बुखारी ३१६६)

ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया यहूदी ईसाई और मुआहिद की दिय्यत एक मुसलमान की दिय्यत की तरह है। मुसन्नफ अब्दुर्रज्जाक ९७,८९/१)

ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया इन्सानों के अधिकार के सिलसिले में क्यामत के दिन सबसे पहले नाजायज खून बहाने के बारे में प्रश्न होगा। (सहीह बुखारी ८६६४)

इस्लाम में किसी भी धर्म के ध र्म गुरूओं के कत्ल को हराम करार दिया गया है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया गददारी न करना, धोका न देना, लाशों को अपमानित न करना, बच्चों और पादरियों को कत्ल न करना। (मुसनद अहमद २७३८ मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ३३३२ मुस्नद अबू याला २५४९)

अल्लाह ने कुरआन में किसी

के पूज्य को गाली देने से सख़्ती से रोका है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''और ऐ मुसलमानो! तुम उन लोगों को गालियां न दो जो अल्लाह के अलावा को पुकारते हैं इसलिये कि वह बिना जाने समझे ज्यादती करते हुये अल्लाह को गाली देंगे''।

यह हकीकत है कि एक इन्सान जिस की वह उपासना करता है तो वह उससे अथाह मुहब्बत करता है और अपने पूज्य को दुनिया की तमाम चीज़ों के मुकाबले ज्यादा चाहता है इसलिये जब कोई किसी के पूज्य (माबूद) को बुरा भला कहेगा तो दूसरा भी बदले में दूसरे के माबूद को गाली देगा जिससे समाज में अशान्ति होने की शंका है इसी लिये इस्लाम में दूसरों के पूज्यों को बुरा कहने से रोका गया है। ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने एक बार चूटियों के बिल को देखा कि उसे जला दिया गया है तो आपने कहा आग से अजाब देने का अधिकार आग के रब के अलावा किसी के लिये वैध नहीं है। (सुनन अबू दाऊद २६७५ अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है)

इस हदीस से आप अन्दाजा लगायें कि जब इस्लाम में एक दुख देने वाले जानदार को आग से जलाना हराम है तो फिर इन्सान को जलाना कैसे जायज और दुरूस्त हो सकता है? इसी तरह से इस्लाम में जानवरों के अधिकारों से संबनधित जो शिक्षाएं हैं अगर उनका निष्पक्ष हो कर अध्ययन किया जाए तो हक़ीक़त स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम हर प्राणी के अधिकारों का ख्याल रखने पर बल देता है और किसी भी जानदार को सताने को महा पाप क़रार देता है।

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया

अनस रज़िअल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः आसानी पैदा करो और मुश्किल न पैदा करो, खुशखबरी सुनाओ और घृणा की बातें न करो। (बुखारी, मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रमज़ान के बाद सबसे अफज़ल रोज़ा अल्लाह का महीना मुहर्रम का रोज़ा है और फर्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफज़ल नमाज़ रात की नमाज़ है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस शख्स ने सूरज के उसके पश्चिम से निकलने से पहले तौबा कर ली अल्लाह उसकी तौबा को कुबूल करेगा। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम अपने मुर्दों को लाइलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने जान बूझ कर मेरे ऊपर झूठ गढ़ा तो उसका ठिकाना जहन्नम है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने नेकी की तरफ बुलाया उसके लिये उसी तरह का बदला है जिसने इस नेकी को अपनाया उनके सवाब से कुछ भी कम नहीं किया जायेगा। और जिसने बुराई की तरफ बुलाया तो उसको उसी जैसा गुनाह मिलेगा जिसने इस बुराई पर अमल किया उनके गुनाहों में से कुछ भी कम नहीं किया जायेगा। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः सदक़ा करने से माल में किसी तरह की कमी नहीं होती और अल्लाह तआला बन्दे को मआफ करने से उसकी इज्ज़त में बढ़ोतरी कर देता है और जो अल्लाह के लिये झुकता है तो अल्लाह उसके दर्जे को बुलन्द कर देता है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाब-ए-किराम ने कहाः अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अपने भाई का जिक्र इस तरह करो जिसको वह नापसन्द करे। पूछा गया आप का क्या ख्याल है अगर मेरे भाई के अन्दर वह बातें पायीं जायें जो मैं ने कही हैं? फरमायाः जो बातें तुम ने कही हैं, अगर उसमें पायी जायें तो यह गीबत है और अगर न पायी जायें तो वास्तव में तुम ने उस पर झूठा आरोप लगाया। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के

रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुफर्रिदून आगे बढ़ गये। लोगों ने पूछा मुफर्रिदून क्या है? फरमायाः अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करने वाले मर्द और औरत। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स इल्म हासिल करने के लिये चला अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर देगा। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब नमाज़ के लिये इक़ामत कही जाये तो फर्ज़ नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं है। (मुस्लिम)

आइशा रज़िअल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं आपने फरमायाः मुर्दों को बुरा भला न कहो क्योंकि मुर्दों ने जो कुछ किया था उसका बदला उन्हें मिल चुका। (बुखारी-५४)

आइशा रज़िअल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जुहर की नमाज़ से पहले चार रकअत नहीं छोड़ते थे और दो रकअत फज्र से पहले। (बुखारी)

आइशा रज़िअल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तमाम कामों में दायें साइड को पसन्द करते थे, पाकी हासिल करने में, कंघी करने में और जूता पहनने में। (बुखारी)

आइशा रज़िअल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह को हर वक़्त याद करते थे। (मुस्लिम)

आइशा रज़िअल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो वसल्लम से बयान करती हैं आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः फज्र की दो रकअ्तें दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेहतर हैं। (मुस्लिम)

अनस रज़िअल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः तीन चीज़ें मय्यत के साथ जाती हैं और दो चीज़ें लौट आती हैं और एक चीज़ बाकी रह जाती है उसके परिवार वाले उसका माल और उसका अमल उसके साथ जाता है लेकिन उसके परिवार उसका माल लौट आता है और उसका अमल बाकी रह जाता है। (बुखारी-मुस्लिम)

अनस रज़िअल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आपने फरमायाः अपनी सफों को बराबर करो, बेशक सफों को बराबर करना नमाज़ की दुरूस्तगी में से है। (बुखारी, मुस्लिम)

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुझे जिब्रईल पड़ोसी के बारे में बराबर वसीयत करते रहे यहां तक कि मुझे यह यकीन होने लगा कि वह उसको वारिस बना देंगे। (बुखारी-मुस्लिम)

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रात में अपनी नमाज़ के आखिर में वित्र पढ़ो। (बुखारी-मुस्लिम)

इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः लोगों से भीक मांगने वाला आदमी क्यामत के दिन इस हाल में आये गा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। (बुखारी, मुस्लिम)

अनाथ

प्रोफेसर डा० ज़ियाउर्रहमान आज़मी

अनाथ उस बालक को कहा जाता है जिसके पिता का देहांत हो गया हो। अनाथों का बहुत सी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं का इस्लाम ने बहुत ही उत्तम तरीके से समाधान किया है।

अनाथ की दो ही दशाएं होंगी

पहली दशाः जिसके पिता का देहान्त हो गया हो और वह अपने पीछे बहुत सारा धन छोड़ गया हो। ऐसी दशा में उसके धन की देख-भाल करने के लिए किसी को नियुक्त किया जाएगा। उसपर अनिवार्य होगा कि वह अनाथ के धन को बढ़ाने का प्रयत्न करे और इस देख-भाल के बदले उसके लिए जो उचित राशि या धन निर्धारित किया जाए उससे अधिक न ले।

''अनाथ के धन के निकट भी न जाओ परन्तु उचित ढंग से, यहाँ तक कि वह युवावस्था को पहुंच जाए''। कुरआन सूरा-६, अल अनआम, आयत-१५२ तथा सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-३४)

अर्थात जब तक वह अनाथ युवावस्था को नहीं पहुँच जाता, उस समय तक उसके धन की देख भाल करो। उस पूंजी को उचित स्थान पर लगाओ, ताकि उसमें लाभ हो। अनाथ के धन को अपने धन के साथ मिला कर भी व्यापार किया जा सकता है।

जिसको अनाथ का संरक्षक बनाया गया हो उसपर अनिवार्य है कि अनाथ की भलाई के बारे में हर समय सोचता रहे। अगर वह समझता है कि अनाथ के धन को अलग व्यापार में लगाने से उत्तम यह है कि अपने व्यापार में सम्मिलित कर ले तो ऐसा कना निषिद्ध नहीं है।

''वे तुमसे अनाथों के बारे में पूछते हैं। कहो कि जिसमें उनका हित हो वही उत्तम है। और यदि तुम उन्हें अपने साथ मिला लो तो वे तुम्हारे भाई हैं। और अल्लाह बिगाड़ चाहने वालों को हित चाहने वालों से अलग पहचानता है। और अल्लाह चाहता तो तुम्हें कठिनाई में डाल देता। निस्सन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।'' (कुरआन, सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२२०)

यहां अपने साथ मिलाने का अर्थ उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर व्यापार करना है, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका उद्देश्य अनाथ के माल में बढ़ौतरी हो न कि हानि। इसी लिए कहा गया कि अल्लाह बिगाड़ चाहने वालों से हित चाहने वालों को अलग पहचानता है। संरक्षक अगर धनवान है तो उसको चाहिए कि अनाथ के माल से कुछ न ले, और अगर वह स्वयं निर्धन है तो उचित ढंग से नियमानुसार कुछ ले ले।

''और अनाथों को जाँचते रहो, यहाँ तक कि जब वे विवाह की अवस्था को पहुंच जाएं तो फिर यदि तुम उनमें देखो कि सूझ-बूझ आ गई है तो उन्हें उनका धन वापस कर दो। और इस भय से कि बड़े हो जाएंगे, उनके माल को ज़रूरत से अधिक और जल्दी-जल्दी न खा जाओ। और जो धनवान है उसे चाहिए कि उनके माल से बचे, और जो निर्धन है वह उचित ढंग से नियमानुसार खा ले। फिर जब उनका माल उनको सौंपो तो साक्षी बना लो,

और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है''। (कुरआन, सूरा-४, अन-निसा,आयतें-५,६)

अर्थात् अनाथों के धन को छल-कपट के साथ खाने वालों का अल्लाह कड़ा हिसाब लेगा। इसी लिए कहा गया है कि उनके धन के निकट भी न जाओ। और अनाथों के धन को खा जाने वालों के लिए अल्लाह की ओर से कठिन यातना है।

''जो लोग अनर्थ अत्याचार से अनाथों का धन खाते हैं वेअपने पेट में आग भरते हैं, और वे नरक में जाएंगे''। (कुरआन, सूरा-४, अन-निसा,आयत-१०)

और जब अनाथ युवावस्था को पहुंच जाए तो उसका धन उसके हवाले कर दिया जाए और उसमें किसी प्रकार का हेर-फेर न किया जाए।

''अनाथों को उनका धन दे दो, और बुरी चीज़ को (जो तुम्हारी हो) अच्छी चीज़ (जो उनकी हो) से न बदलो। और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ। निस्सन्देह यह महापाप है''। (कुरआन, सूरा-४, अन-निसा, आयत-२)

अनाथ लड़कियों से विवाह

अनाथ लड़कियों से विवाह किया जा सकता है। बल्कि कई अवस्थाओं में तो उनसे विवाह करना उचित है। परन्तु इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ न्याय किया जा सकता है या नहीं अगर यह भय हो कि न्याय नहीं किया जा सकेगा तो उनसे कदापि विवाह न करना चाहिए। होता यह है कि कुछ लोग यह सोचकर कि यह अनाथ कन्या है, उससे विवाह कर लेते हैं। परन्तु उसके साथ न्याय नहीं करते, उसके अनाथ होने का लाभ उठाते हैं, या उसके धन के लालच में विवाह कर लेते हैं। ऐसे लोगों से कहा गया है।

''यदि तुम्हें आशंका हो कि अनाथ लड़कियों से विवाह करके तुम न्याय न कर सकोगे तो दूसरी स्त्रियों में से जो तुम्हें अच्छी लगें उनसे विवाह कर लो''। (कुरआन, सूरा-४, अन-निसा, आयत-३)

अनाथ की दूसरी दशाः दूसरी दशा के अन्तर्गत ऐसे अनाथ आते हैं, जिनके पिता ने जीविका के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो ऐसे अनाथ बच्चों की देख-भाल करने का दायित्व पूरे समाज पर आता है। पवित्र कुरआन में इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं। एक बार सहाबा ने नबी स० से पूछा, हम फालतू माल कहां ख़र्च करें? इस पर यह आयत उतरी।

''वे पूछते हैं कि (फ़ालतू धन) किस प्रकार ख़र्च करें? कह दो कि जो माल भी तुम ख़र्च करो तो माता-पिता, अनाथों, निर्धनों तथा मुसाफ़िरों पर ख़र्च करो। और जो भलाई तुम करते हो अल्लाह उसे भली-भाँति जानता है''। (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२१५)

सदाचारी लोगों के जो विशेष गुण बताए गए हैं,उनमें से एक यह है।

''वे मोहताज, अनाथ और क़ैदी को खाना उसकी चाहत रखते हुए खिलाते हैं''। (कुरआन, सूरा-७६, अद्-दह्र, आयत-८)

मक्का के उन इस्लाम-विरोधियों की निन्दा की गई है, जो क़ियामत के दिन को झुठलाते और अनाथों को धक्के देते हैं।

''यह वही है जो अनाथ को धक्के देता है। और निर्धन को खाना खिलाने का प्रलोभ नहीं देता''। (कुरआन, सूरा-१०७, अल माऊन, आयतें २-३)

नबी स० स्वयं अनाथ थे, परन्तु अल्लाह ने आप पर दया की। इसलिए आप स० को हुक्म दिया जा रहा है कि आप अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार करें।

''तो जो अनाथ है उस पर

कठोरता न करना और मांगने वाले को न झिड़कना'' (कुरआन, सूरा-३६, अज़-जुहा, आयतें-६,१०)

इसलिए नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अनाथों और मांगने वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और हर समय कोई न कोई अनाथ आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के घर में पलता रहता था। जहाँ तक माँगने वालों का मामला है तो अनस आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सेवक, का कथन है कि आप ने किसी मांगने वाले को कभी देने से मना नहीं किया। इसी प्रकार आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अनाथों की सेवा करने वाले को शुभ सूचना भी दी। ''मैं और अनाथ को पालने वाला जन्नत में इस प्रकार होंगे और यह कहते हुए आपने अपनी दो उंगलियों की ओर संकेत किया''। (सहीह बुखारी ६००५)

एक दूसरी हदीस में आया है।

''अनाथ की देख भाल करने वाला, चाहे वह उसका करीबी हो या किसी और का, वह और मैं जन्नत में इस प्रकार होंगे और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों की ओर संकेत किया''। (सहीह मुस्लिम २६८३)

अर्थात वह अनाथ उसके परिवार का हो या किसी और परिवार का, उसका पालना पुण्य कर्मों में से एक एक हदीस में आता है कि एक व्यक्ति ने अपने कठोर दिल होने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''अनाथ के सर पर हाथ फेरो, और निर्धन को भोजन कराओ''। (मुस्नद अहमद ७५७६)

अर्थात किसी अनाथ को पाल लो। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि अनाथ की मां से विवाह कर लो, ताकि वह अनाथ तुम्हारे साए में पल बढ़ सके। इससे तुम्हारा दिल नर्म पड़ जाएगा और उसकी कठोरता समाप्त हो जाएगी।

इस प्रकार इस्लाम ने अनाथ की समस्या के साथ, विधवा-समस्या का भी उत्तम हल पेश किया है।

अगर कोई यह सब न कर सके तो अनाथायलय में पलने वाले बच्चों की सहायता करे। परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि पहले प्रबंध ा-समिति के लोगों की अच्छी तरह से जांच कर ले और जब यह विश्वास हो जाए कि उनका उददेश्य अनाथों की सेवा है, व्यापार करना नहीं तो उनकी सहायता की जाए और यह भी एक प्रकार से अनाथ का पालन-पोषण करने के समान है।

❑ ❑ ❑

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइन नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताःअहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

औलाद की शिक्षा एवं प्रशिक्षण

मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी तुलसीपुर

औलाद को कुरआन मजीद और दीनी किताबों की तालीम दिलाना माँ बाप पर एक ज़रूरी दीनी फरीज़ा है। अच्छी तालीम तर्बियत सदका व खैरात करने से ज़्यादा बेहतर है। माँ बाप को अपनी औलाद को अल्लाह तआला की खुश्नूदी के सांचे में ढ़ालना चाहिए ताकि उन की औलाद सहीह मानों में इस्लाम और मानवता की भलाई के काम आ सकें और उसके रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की मुहब्बत में तन मन ध ान निछावर कर सकें। हमारे सामने प्रथम काल और निकट भूतपूर्व की मुस्लिम महिलाओं के ऐसे आदर्श मिलते हैं उनमें से कुछ आदर्श और वाक़आत को पाठकों के लिये पेश किया जा रहा है।

हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा के घर अपनी औलाद में चार बेटियाँ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से थीं और पिछले दो शोहरों से एक बेटी और एक बेटा, इन छः औलाद के साथ हज़रत अली भी हज़रत खदीजा के साथ रहते थे। याद रहे कि जब हुजूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी की थी तो अपने चाचा अबू तालिब से अलग रहने लगे थे चूंकि अबू तालिब के पास आल औलाद ज़्यादा थी इस लिये हज़रत अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को अपने साथ रख लिया गया। हज़रत अली उस वक़्त पांच वर्ष के थे। हज़रत अली के पालने पोसने के बारे में एक लेखक ने किस मज़े की बात लिखी है।

''नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को नबुव्वत की ज़िम्मेदारियों ने ऐसा व्यस्त कर रखा था कि आप को घर और बाल बच्चों के लिये वक़्त नहीं मिलता था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा जो घर को बनाए हुई थीं और हुजूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से जो इशारे पाती थीं उन ही के मुताबिक बाल बच्चों का पालन पोषण कर रही थीं। पाँच वर्ष के अली को हज़रत अली बनाने में अगर एक तरफ अल्लाह की रहमत काम कर रही थी तो दूसरी तरफ हज़रत ख़दीजा का भी हाथ था''

हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहो अन्हा बड़ी हुईं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहो अन्हो से निकाह हुआ। आप से जो औलादें हुईं उन में से हज़रत हसन हुसैन ज़िन्दा रहे और उन्होंने दीन की जो शानदार ख़िदमात अंजाम दीं, सब जानते हैं यह दोनों हज़रात प्रतिष्ठित और महान कैसे बने इसकी एक झलक देखिए।

हसन व हुसैन दोनों छोटे भाई थे, एक बार खेल ही खेल में लड़ पड़े। फिर दोनों वालिदा (माँ) के पास शिकायत करने लगे हज़रत फातिमा ने दोनों लड़कों की शिकायतें सुनीं, फिर फरमाया :

''मैं यह कुछ सुनना नहीं चाहती कि हसन ने हुसैन को पीटा या हुसैन ने हसन को मैं तो सिर्फ यह जानती हूं कि तुम दोनों लड़े

और लड़ाई अल्लाह को पसन्द नहीं तुम दोनों ने अल्लाह को नाराज़ किया, जिस से अल्लाह तआला नाराज़ उससे मैं भी नाराज़, चलो भागो यहां से दोनों भाइयों ने मां की नाराज़गी देखी झटपट में सुलह कर लिया और मुन्ने मुन्ने हाथ उठा कर अल्लाह से मआफी मांगी''।

इमाम बुख़ारी रह० के बचपन में ही पिता जी का इन्तेक़ाल हो गया, इमाम साहब का पालन पोषण और शिक्षा एवं प्रशिक्षण आप की माँ ने किया। इमाम बुखारी को ''अमीरूल मोमिनीन फिल हदीस'' बनाने में आप की मां की बड़ी भूमिका है। इमाम बुखारी रह० की आंख बचपन में खराब हो गई थी, बीनाई जाती रही, डाक्टर एलाज में असमर्थ हो गए आप की मां बड़ी नेक और इबादत गुज़ार थीं। आपने बेटे की आँखा की बीनाई वापस लाने के लिये अल्लाह से दुआ करती थीं। एक रात इमाम साहब की मां ने हज़रत इब्राहीम अलैहि० को सपने में देखा कि वह फरमा रहे हैं कि तुम्हारे रोने और दुआ करने से तुम्हारे बेटे की आँखों को अल्लाह ने ठीक कर दिया है। वह कहती हैं कि जिस रात को मैंने सपने में देखा उसी की सुबह बेटे की आंखें ठीक हो गयीं। (सीरत इमाम बुख़ारी)

इमाम अहमद बिन हंबल की मां का नाम सफिय्या बिन्ते अब्दुल मालिक शैबानी था बड़ी नेक दीनदार खातून थीं। इमाम अहमद रह० का बयान है कि मैंने अपने पिता को नहीं देखा बचपन में ही उनकी मां उनको खुरासान से लेकर बग़दाद आ गयीं। यहां उन्होंने अपने बेटे की तालीम व तर्बियत का प्रबन्ध किया, हर वक्त उनका ध्यान बेटे की तालीम व तर्बियत पर रहता था। इस तालीम व तर्बियत के नतीजे में यह नौजवान इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हंबल बन गए। वर्ना बाप की गैर मौजूदगी में बच्चे के बिगड़ने के इमकानात भी होते हैं।

अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी तीन ही साल के थे कि उनके पिता जी का इन्तेकाल हो गया पालन पोषण की पूरी ज़िम्मेदारी इन की फूफी (बुवा) ने उठा ली, वह बहुत समझदार खातून थीं। कम आयु में ही वह इन्हें ओलमा की संगत में ले जा कर बिठा देती थीं कि इल्म से लगाव बढ़ेगा। वक़्त की हिफाज़त का नतीजा यह निकला कि इमाम इबने जौज़ी दस साल की उम्र में आलिम बन गए और वाज़ व नसीहत करने लगे। आगे चल कर वह बहुत बड़े इमाम बन गए।

सुफियान सौरी बचपन में ही यतीम हो गये थे। उनकी परवरिश (पालन पोषण) और शिक्षा एवं प्रशिक्षण मां ने की उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटे तुम दीन का ज्ञान हासिल करो मैं सूत कात कर तुम्हारे ख़र्च पूरे करूं गी और फरमाया बेटे जब तुम दस हदीसें याद कर लो तो देखो कि तुम्हारी नेकी और परहेज़गारी में बढ़ोतरी हुई है या नहीं अगर बढ़ोतरी नज़र आए तो समझ लेना चाहिए कि इल्म तुम्हारे हक़ में लाभकारी है और अगर बढ़ोतरी न हो तो फिर यह इल्म तुम्हारे लिये बेकार है।

कहने का मतलब यह है कि यह बड़ी हस्तियां जिन को हम अपने आदर्श समझते हैं आप से आप बड़ी बड़ी हस्ती नहीं बन गयीं इनको महान बनाने में उनकी माओं ने उन पर हर वक़्त ध्यान दिया और जहां और जब ज़रूरत पड़ी बरवक्त रोक टोक और अच्छी तर्बियत की।

एलाने दाख़िला 2023-24

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जेरेएहतमाम अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला दिल्ली में स्थापित उच्च शैक्षिक एवं प्रशिक्षणिक संस्था

अलमाहदुल आली लित तखस्सुस फिद दिरासातिल इस्लामी में नये तालीमी कलैण्डर के अनुसार इस साल नये सत्र के लिये एडमीशन 1 मई सोमवार से 3 मई बुधवार 2023 तक लिया जायेगा। अपना अनुरोध पत्र व सनद की फोटो कापी इस पते पर भेजें। आवेदन पत्र मिलने की आखिरी तारीख 18 जून 2018 है।

नोटः- हर क्षात्र को वज़ीफे के तौर पर हर महीने वज़ीफ़ा दिया जायेगा। अधिकृत जानकारी के लिये संपर्क करें।

अहले हदीस कम्पलैक्स डी.254 अबुल फजल इन्कलेव

जामिया नगर दिल्ली-110025

फोन 011-26946205 , 011-23273407

Mob. 9213172981, 09560841844

शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

मर्कज़ी जमीअत की सलाहकार समिति के सत्र में मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी मर्कज़ी जमीअत के निरन्तर दूसरी बार सर्वसम्मति से अमीर चयनित

मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली महा सचिव और वकील परवेज़ कोषाध्यक्ष की हैसियत से अपने-अपने पद पर बरक़रार रहे

नई दिल्ली २८ जनवरी २०२३

२८ जनवरी २०२३ को अहले हदीस कम्पलैक्स में मर्कज़ी जमीअत की सलाहकार समिति का चुनावी सत्र का आयोजन हुआ जिस में मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चयनियत हुए जबकि मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली दोबारा महा सचिव और हाजी वकील परवेज तीसरी बार कोषाध्यक्ष बनाये गये। यह चुनाव अत्यंत संतुष्टजनक शान्तिपूर्ण और पारदर्शिता के माहौल में सैंविधानिक तकाज़ों के अनुसार अमल में आया। इस सत्र में देश के चौबीस राज्यों से दो सौ से अधिक सलाहकार समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

प्रेस रिलीज के अनुसार सत्र की शुरूआत हाफिज़ डा० अब्दुल अजीज़ मदनी मुबारकपूरी की तिलावत से हुई। फिर ऐजेन्डे के अनुसार पूर्व कार्रवाई की पुष्टि और महा सचिव की रिपोर्ट के बाद डा० अब्दुल अज़ीज़ मदनी मुबारकपूरी, मौलाना शिहाबुददीन मदनी, सचिव सूबाई जमीअत अहले हदीस मश्रिकी यूपी, मौलाना मुहम्मद अली मदनी अमीर सूबाई जमीअत अहले हदीस विहार, जनाब के. जे मनसूर कासिम कुरैशी उर्फ दादू भाई खाज़िन सूबाई जमीअत अहले हदीस करनाटक व गोवा और सूबाई जमीअत अहले हदीस आंध्रा प्रदेश के अमीर मौलाना फज़लुर्रहमान उमरी पर आधारित पांच सदस्यीय चुनावी बोर्ड का गठन हुआ। इसके बाद चुनावी बोर्ड की निगरानी में कई दसस्यों के प्रस्ताव और पूरे हाउस के समर्थन से मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की अध यक्षता के लिये मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी का नाम पेश हुआ और कोई नाम न पेश होने की वजह से और आप के इन्कार के बावजूद आप ही को अमीर चयनित कर लिया गया। इसी तरह अन्य पदधारियों का चुनाव भी सर्वसम्मति से अमल में आया। इसके बाद अध यक्ष महोदय ने स्वयं को और उपस्थितगण को तक़वा, पवित्रता, अल्लाह से भय का उपदेश देते हुए देश, समुदाय के विकास में आदर्श भूमिका निभाने का भी उपदेश दिया, एकता के साथ रहने, देशबन्धुओं के साथ सदव्यवहार से पेश आने, अम्न व शान्ति के साथ रहने और क़टटरता से बचने की प्ररेणा दी। इसके बाद सूबाई जमीअतों के पदधारियों ने नये चयनित पदधारियों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि अमीर महोदय ने पिछले बीस वर्षों में देश, समुदाय, जमाअत की जो बहुमूल्य सेवा की है इसका सिलसिला अधि

ाकृत ऊर्जा के साथ जारी रहे गा और हम सब उनके मजबूत सहायक बने रहेंगे।

प्रेस रिलीज़ के अनुसार मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की सलाहकार समिति के इस चुनावी सत्र में देश, समुदाय और मानवता से संबन्धित विभिन्न मामले विचारध ीन रहे और अंत में इनसे संबिन्ध ात कई क़रारदाद और प्रस्ताव पारित हुए।

क़रारदाद में मुस्लिम समाज में गैर इस्लामी अकीदों और रस्म व रिवाज को मिटाने पर जोर, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बन्द करने के फैसले पर पुनरावृत्ति, मदर्सों के जिम्मेदारान से अपनी संस्थाओं के खर्च और हिसाब किताब को दुरूस्त रखने और सर्वे में अधि ाकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की गई और सरकारों से मदर्सों की आर्थिक, आध्यात्मिक और शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अहमियत को समझने का अनुरोध किया गया।

क़रारदाद में धार्मिक मार्गदर्शकों और हर धर्म की किताबों का सम्मान करने पर ज़ोर देते हुए किसी ध ार्मिक किताब का अपमान करने से हर हाल में बचने, दूसरों के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी से बचने की अपील और राजनीतिक लीडरों से किसी के खिलाफ बेबुनियाद बयानात देने और भड़काव, एवं उत्तेजना पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग और अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ेपन के निवारण के लिये विभिन्न समीतियों की संस्सतुतियों को लागू करने की अपील की गई।

सलाहकार समिति की क़रारदाद में प्रिय देश और अन्य देशों में होने वाले हर प्रकार के आतंकी वाक़आत की कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि आतंकवाद की आड़ में किसी विशेष धर्म के अनुयाइयों को बदनाम करना किसी भी तौर से उचित नहीं है। इसके अलावा देश के निमार्ण व विकास के लिये सांप्रदायिक सौहार्द, उदारता, और आपसी सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। मीडिया से नफरत पर आधारित बयानात को कवारेज न देने और गैर कानूनी कामों और गतिविधियों की निन्दा के साथ-साथ जेलों में बन्द नोजवानों के मुक़दमात को जल्द से जल्द निमटाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए सम्मानित अदालतों से बाइज़्ज़त बरी होने वाले नौजवानों को मुआवज़ा देने और बेमक़सद टीवी डीबेट में शिर्कत से बचने की अपील और देश के बाज़ हिस्सों में ज़मीन धसाव के वाक़आत पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे कुदरती आज़माइश क़रार दिया गया।

क़रारदाद में स्वीडन में सियासी कारणों से पवित्र कुरआन जलाने के वाक़ए पर अफसोस का इज़हार किया गया और कहा गया कि पवित्र कुरआन जिस में पूरी मानवता की सफलता और अम्न व शान्ति का राज़ निहित है, उसको निजी मक़सद या सियासी हथकंडों के लिये स्तेमाल करना निंदनीय है।

कार्यसमिति की करारदाद में बढ़ती मंहगाई, कालाबाज़ारी, धोकाध ाड़ी पर कन्ट्रोल करने और नशीले पदार्थ पर पाबन्दी लगाने, बाज़ देशों में आपसी टकराव को चिन्ता जनक और विश्व समुदाय से इस तरह के टकराव को रोकने और फलस्तीन समस्या का समाधान करने के लिये राष्ट्र संघ से अपील की गई। इसी प्रकार देश, समुदाय और जमाअत की महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक, समाजी हस्तियों के निधन पर गहरे रंव व ग़म का इज़हार किया गया।

(प्रेस रिलीज)

अल माहदुल आली लिततख़स्सुस फ़िद दिरासातिल इस्लामिया में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन

मर्कज़ी जमीअत के अध्यक्ष महोदय का संबोधन

नई दिल्ली २७ जनवरी २०२३

हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में जिस तरह का संघर्ष किया वह अविस्मरणीय है। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिये खुशी का अवसर है हमारा संविधान संसार का एक बेहतर संविधान है जो बहुत ही प्रयासों के बाद वुजूद में आया था। हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया जो सभी देश वासियों को मौलिक अधिकार की ज़मानत देता है और इस पर हम उचित रूप से सराहना व प्रशंसा के पात्र हैं। देश का निर्माण एवं विकास संविधान एवं कानून की पासदारी और सम्मान में है और हमारे बुजुर्गों का सपना उस वक़्त साकार होगा जब हम आपसी सहयोग, सांप्रदायिक सौहार्द और रवादारी के साथ मिल कर संविधान के अनुसार इस देश को विकास की पथ पर ले जाएं यही संविधान की मौलिक आत्मा है। यह उदगार मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द द्वारा संचलित संस्था अल माहदुल आली लित तख़स्सुस फिद दिरासातिल इस्लामिया अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजा रोहण के बाद मर्कज़ी जमीअत के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने अपने संबोधन में व्यक्त किया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और देश की तरक्की, समृद्धि, अम्न व शान्ति और भाई चारे के लिये दुआ की।

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के उप महासचिव मौलाना मुहम्मद अली मदनी ने इस अवसर पर समारोह से संबोधित करते हुए कहा कि हमें संविधान और कानून का एहतराम और कानून की सीमा में रहते हुए अपनी धार्मिक और समाजी गतिविधियों को जारी रखना चाहिये। हमारे संविधान की बुनियाद बराबरी और धर्मनिर्पेक्षता पर है। यहां पर हर किसी को अपनी पसन्द के अनुसार धर्म, भाषा, और रीति रिवाज को अपनाने का अधिकार प्राप्त है और यही इस संविधान की विशेषता है।

मर्कज़ी जमीअत के कोषाध्यक्ष वकील परवेज़ ने भारत के संविधान की विशेषताओं को बयान करते हुए कहा कि हमारे प्रिय देश के संविधान में हर धर्म के अनुयायी को पूर्ण रूप से धार्मिक आज़ादी दी गई है और सबको बराबर के अधिकार दिये हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय गाण पढ़ा गया और यहां उपस्थित लोगों में मिठाई तक़सीम की गई।

(जरीदा तर्जुमान में प्रकाशित प्रेस रिलीज़ का सारांश)

रमज़ानुल मुबारक के अवसर पर

सदक़ात व खैरात का हिस्सा मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द को देना न भूलें

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द हिन्दुस्तान में अहले हदीसों का नुमाइन्दा पलेटफार्म है जो अपने उददेशों व लक्ष्यों की रोशनी में योजनाओं को पूरा करने के लिये प्रयासरत है। उसकी दावती, तबलीगी, तालीमी, तर्बियती, तहरीरी व सहाफती, कल्याणकारी एवं समाजी सेवाओं का एक लम्बा सिलसिला है। सेमीनार कांफ्रेन्स और प्रतियोगिता के आयोजन, विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन, तफसीर, हदीस और अहम दीनी किताबों के प्रसारण का काम पाबन्दी से हो रहा है। यह सब काम अल्लाह के फज्ल व करम के बाद अहले खैर हज़रात शुभचिंतकों उपकारकों के सहयोग से हो रहा है। इस पर हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं और अपने उपकारकों और मुख्लिसीन के भी जिन्होंने किसी न किसी पहलू से मर्कज़ी जमीअत के विकास में भाग लिया है और उसके योजनाओं को पूरा करने में आज भी सहयोग जारी रखे हुये हैं।

तमाम शुभचिंतकों व मुख्लिसीन से अपील है कि रमज़ान के मौके पर मर्कज़ी जमीअत के तमाम विभागों को सक्रिय रखने और उसके निमार्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये जमीअत के जिम्मेदारों और कार्यकर्ताओं के साथ भरपूर सहयोग करें। वह आपकी सेवा में हाज़िर होंगे। अगर इनमें से कोई आपके पास न पहुंच सके तो कृपया अपना सहयोग मर्कज़ी जमीअत के दफतर में भेज दें अल्लाह आपकी नेकियों को कुबूल करे।

चेक या ड्राफ केवल : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

के नाम से बनवायें :A/c No.629201058685 (ICICI Bank) Chandni Chowk, Delhi-6

अपीलः- मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द